मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण,उ0प्र0

203/9, नबीउल्लाह रोड, लखनऊ

फोन नं0–0522–2614721

ई मेल–lkomdm@gmail.com

Website : www.upmdm.org

पत्रांकः म0भो0प्रा0/ C-2631 /2021–22 दिनांक : 31-03-2022

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उ0प्र0।

विषय : मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत विद्यालयों में किचेन उपकरण मद में क्रय किये जाने हेतु आय–व्ययक 2021–22 के अनुदान संख्या–71 में वित्तीय स्वीकृति जारी करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–17/2022/आई/152040/2022/फा0नं0–68–4002(003)/12/2021–4 बेसिक शिक्षा अनुभाग–4 लखनऊ दिनांक 31.03.2022 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा किचेन उपकरण मद में क्रय किये जाने हेतु आय–व्ययक 2021–22 के अनुदान संख्या–71 के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है।

2– अवगत कराना है कि मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2006–07 से रू0 5000/– प्रति विद्यालय की दर से बर्तन उपकरण क्रय किये जाने हेतु धनराशि उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान किया जाता रहा है तथा वित्तीय वर्ष 2012–13 से 05 वर्ष के पश्चात पुनः बर्तन रिप्लेसमेन्ट मद में रू0 5000/– प्रति विद्यालय की दर से धनराशि उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान किया जाता रहा है। वित्तीय वर्ष 2019–20 से भारत सरकार द्वारा बर्तन उपकरण की धनराशि के परिप्रेक्ष्य में छात्र नामांकन स्लैब के आधार पर संशोधित गाइडलाइन जारी की गयी है, जिसका व्ययभार 60:40 के अनुपात में भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। स्वीकृत दरों का विवरण निम्नवत् हैः–

छात्र नामांकन स्लैब	धनराशि प्रति विद्यालय
0 से 50	10,000/–
51 से 150	15,000/–
151 से 250	20,000/–
251 से अधिक	25,000/–

3– चालू वित्तीय वर्ष 2021–22 में किचेन उपकरण मद के अन्तर्गत अनुदान सं0–71 के लेखाशीर्ष–**2202–सामान्य शिक्षा–01–प्रारम्भिक शिक्षा–112 विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम–01 केन्द्र प्रायोजित योजनाएं–0103 कुकिंग लागत आदि (के.60/रा.40)–20 सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)** मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष 'किचेन उपकरण' मद में रू0 725.80 लाख (केन्द्रांश रू0 435.48 लाख व राज्यांश रू0 290.32 लाख /रूपये सात करोड़ पच्चीस लाख अस्सी हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबंधों के अधीन प्रदान की गयी है–

1. उक्त स्वीकृत धनराशि जिलाधिकारियों द्वारा आवश्यकतानुसार आहरित कर निर्धारित कार्यों पर व्यय की जायेगी। जिलाधिकारियों द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त मद में स्वीकृत की जाने वाली धनराशि का पुनः आहरण न होने पाये तथा धनराशि कालातीत हो जाने के लिए संबंधित अधिकारी/कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

2. इस धनराशि के लेखों की रख–रखाव की समस्त कार्यवाही जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जायेगी तथा व्यय की गई धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित समयान्तर्गत निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण को उपलब्ध कराया जायेगा।
3. प्रश्नगत धनराशि जिस प्रयोजन हेतु निर्गत की जा रही है, उसका उपयोग उसी कार्य हेतु किया जायेगा।
4. शासनादेश सं0: 1445/अड़सठ–3–2019 दिनांकः 10 अक्टूबर, 2019 द्वारा आदर्श किचेन व्यवस्थित करने हेतु दिशा–निर्देश पूर्व से ही निर्गत हैं, जिसके आधार पर आदर्श किचेन की व्यवस्था की जायेगी।
5. वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22 मार्च, 2021 एवं योजना से संबंधित अन्य सुसंगत शासनादेश/दिशा–निर्देश में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का प्रतिबद्धता से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6. योजना हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों के अनुसार ही धनराशि का व्यय आवश्यकता के अनुसार ही किया जाएगा।
7. धनराशि का कोषागार से आहरण वास्तविक आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा।
8. किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए आहरण वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे।
9. प्रश्नगत प्रकरण के संदर्भ में सुसंगत नियमों/दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
10. स्वीकृत की जा रही घनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाक घर में नहीं रखी जाएगी।

4– उक्त मद में होने वाला व्यय चालू ''वित्तीय वर्ष 2021–22 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–71, लेखाशीर्ष **–2202–सामान्य शिक्षा–01–प्रारम्भिक शिक्षा–112 विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम–01 केन्द्र प्रायोजित योजनाएं–0103 कुकिंग लागत आदि (के.60/रा.40)–20 सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)** मद के नामे डाला जायेगा।

भवदीया

(अनामिका सिंह)
निदेशक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. अनुसचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग–4/ वित्त आय–व्ययक अनुभाग–1/वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग–11, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण उ0प्र0 लखनऊ।
5. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
6. अनुश्रवण प्रकोष्ठ, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
7. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, म0भो0प्रा0, उ0प्र0 लखनऊ को तत्काल अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित।
8. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0।
9. समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
10. समस्त वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0।

(अनामिका सिंह)
निदेशक

2. इस धनराशि के लेखों की रख–रखाव की समस्त कार्यवाही जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जायेगी तथा व्यय की गई धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित समयान्तर्गत निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण को उपलब्ध कराया जायेगा।
3. प्रश्नगत धनराशि जिस प्रयोजन हेतु निर्गत की जा रही है, उसका उपयोग उसी कार्य हेतु किया जायेगा।
4. शासनादेश सं0: 1445/अड़सठ–3–2019 दिनांक: 10 अक्टूबर, 2019 द्वारा आदर्श किचेन व्यवस्थित करने हेतु दिशा–निर्देश पूर्व से ही निर्गत हैं, जिसके आधार पर आदर्श किचेन की व्यवस्था की जायेगी।
5. वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22 मार्च, 2021 एवं योजना से संबंधित अन्य सुसंगत शासनादेश/दिशा–निर्देश में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का प्रतिबद्धता से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6. योजना हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों के अनुसार ही धनराशि का व्यय आवश्यकता के अनुसार ही किया जाएगा।
7. धनराशि का कोषागार से आहरण वास्तविक आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा।
8. किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए आहरण वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे।
9. प्रश्नगत प्रकरण के संदर्भ में सुसंगत नियमों/दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
10. स्वीकृत की जा रही घनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाक घर में नहीं रखी जाएगी।

4– उक्त मद में होने वाला व्यय चालू ''वित्तीय वर्ष 2021–22 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–71, लेखाशीर्ष **–2202–सामान्य शिक्षा–01–प्रारम्भिक शिक्षा–112 विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम–01 केन्द्र प्रायोजित योजनाएं–0103 कुकिंग लागत आदि (के.60/रा.40)–20 सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)** मद के नामे डाला जायेगा।

भवदीया

(अनामिका सिंह)
निदेशक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. अनुसचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग–4/ वित्त आय–व्ययक अनुभाग–1/वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग–11, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण उ0प्र0 लखनऊ।
5. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
6. अनुश्रवण प्रकोष्ठ, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
7. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, म0भो0प्रा0, उ0प्र0 लखनऊ को तत्काल अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित।
8. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0।
9. समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
10. समस्त वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0।

(अनामिका सिंह)
निदेशक